बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संoसंo–लoसिoमोo– JJHA जाँच–139/2020 1095 (मो0) /पटना, दिनांक–4/6/2020

प्रेषक,

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल...........।

विषयः– **प्री–लेवल का मापी पुस्त में प्रविष्टि तथा मापी–पुस्त प्रविष्टियों की जाँच संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

विभाग में प्रतिवेदन/शिकायतें प्राप्त हो रहीं है कि कराये गये कार्य से ज्यादा की प्रविष्टि मापी–पुस्त में दर्ज की गयी है। Pre-Level भी वास्तविक Level से ऊँचा अंकित किया जा रहा है तथा उस पर मनरेगा के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से जाँच कराकर उनका हस्ताक्षर भी नहीं कराया जा रहा है। इस तरह का एक मामला लघु सिंचाई प्रमंडल, कटिहार में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा Pre-Level की जाँच के क्रम में पाया गया है। इसमें क्षेत्रीय कनीय अभियंता द्वारा Pre-Level 2.5 मी0 ऊँचा दिखाया गया है तथा उस पर मनरेगा के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता का हस्ताक्षर कराये बिना कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। स्थल जाँच में कहीं–कहीं पाया गया है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा जितने प्रतिशत कार्य की प्रगति बताई गयी है उतना काम कार्य स्थल पर भौतिक रूप में नहीं है।

कराये गये कार्य से ज्यादा की प्रविष्टि मापी–पुस्त में दर्ज नहीं हो तथा ज्यादा भुगतान नहीं हो सके इसके लिये संबंधित अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच के साथ–साथ उस कार्य की मापी–पुस्त की भी जाँच करेंगे। यदि कराये गये कार्य से ज्यादा की प्रविष्टि मापी–पुस्त में दर्ज हुई है तो संबंधित अभियंताओं पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करेंगे। गलत नियत से ऐसा कार्य करने वाले दोषी अभियंताओं पर प्राथमिकि भी दर्ज करेंगे।

प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

04/06/2020

विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1095 (मो0) /पटना, दिनांकः–4/6/2020

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। मुख्य अभियंताओं का यह दायित्व होगा कि वे यह देखें कि अधीक्षण अभियंताओं द्वारा स्थल तथा मापी पुस्त की जाँच की जा रही है अथवा नहीं। जिन योजनाओं की स्थल जाँच उनके द्वारा स्वयं किया जाता है तथा पाया जाता है कि स्थल पर कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित कार्य से कम है तो उसकी मापी–पुस्त की जाँचकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।

04/06/2020

विशेष सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

D:\GEET-2020\JUNE\LETTER-03.06.20 SPL.SEC.DOCX